<u>न्यायालय : वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डेगाना, न्यायक्षेत्र मेड़ता, जिला नागौर</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री राजेश्वर विश्नोई (आर.जे.एस.)

अंतिम प्रतिवेदन परिवादी राजूराम

फौजदारी एफ.आर. प्रकरण संख्या 127 / 2021

एफ.आई.आर. संख्या 186 / 2020 पुलिस थाना डेगाना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.04.2026	वकील परिवादी उपस्थित। बहस प्रसंज्ञान पूर्व में सुनी जा चुकी है। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि परिवादी राजूराम ने उपस्थित थाना होकर एक टाईपशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि ग्राम मेहराणा के आबादी सीमा में कानाराम सारण के वारिसान रामनिवास, कालूराम, बिरमाराम निवासीगण मेहराणा वालों की पट्टासुद आई हुई है। उक्त दुकान मैंने नाई का कार्य करने हेतु पिछले 25 वर्षों से किराये पर ले रखी है। इस दुकान का पहले किराया कानाराम को अदा करता आ रहा था व कानाराम जी का देहान्त 13 साल पूर्व हो गया। इसके पश्चात मैं किराया रामनिवास, कालूराम, बिरमाराम को देता आ रहा हूं। वाका दिनांक 30.07.2020 को 12 बजे का है कि मुलजिमान गंगाराम पुत्र प्रभूराम, गोपाल पुत्र मंगनाराम, राजूराम, श्यामसुन्दर पुत्रगण भंवरलाल, महेन्द्र पुत्र गंगाराम, पुनाराम पुत्र गोपालराम, निवासीयान मेहराणा वाले अपराध करने की नीयत से एकराय होकर मेरी दुकान में नाजायज कब्जा करने के आशय से अनाधिकृत घुसे व मेरा सामान दुकान के बाहर फेंक दिया, जिससे मुझे मुलजिमान ने नुकसान कारित किया व मुझे मां बहिन की गालियां निकाली व मुलजिमान मेरे दुकान के गल्ले में से करीब पांच हजार रुपये लूट लिये। मेरे द्वारा हल्ला करने पर उसी वक्त रामनिवास पुत्र कानाराम व राजेन्द्र पुत्र कालूराम, निवासीयान मेहराणा वाले आ गये, इन्होनें बीच–बचाव करने का प्रयास किया, तो मुलजिमान ने इनके साथ मारपीट करके इनके कपडे फाड़ दिये।	

उपरोक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना डेगाना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 186/2020 दर्ज की जाकर अंतिम प्रतिवेदन इस आशय का पेश किया गया कि श्री कानाराम के पुत्र रामनिवास वगैरा तथा हरदीनराम के पौत्र भंवरलाल वगैरा के इसी प्लॉट के मालिकाना हक को लेकर पिछले काफी समय से विवाद चल रहा है। इस संबंध मे प्रकरण हाजा के अप्रार्थी भंवरलाल ने दामोदर वगैरा के खिलाफ एक दावा श्रीमान एसीजेएम न्यायालय डेगाना मे कर रखा है। गोपनीय जानकारी व स्वतंत्र गवाहान से तफतीश से गंगाराम वगैरा द्वारा विवादित प्लॉट मे बनी दुकानों के किरायेदार से किराये की बात को लेकर दुकानदार के साथ केवल बोलचाल होना पाया गया है। मारपीट, तोडफोड व चोरी जैसी कोई घटना अनुसंधान से नही पाया गया। इसी प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से व न्यायालय मे चल रहा दावा विड्रोल करवाने हेतु दबाव बनाने के लिये रामनिवास वगैरा ने विवादित प्लॉट मे आयी दुकान के किरायेदार प्रार्थी प्रकरण हाजा श्री राजुराम द्वारा गंगाराम वगैरा के खिलाफ झूठा व मनगढ़ंत मुकदमा करवाया है। इसमें लैशमात्र की सच्चाई नहीं है। सम्पुर्ण अनुसंधान से मामला एफआर अदम वकु झूठा का ही पाया गया है।

उपरोक्त नतीजे के विरोध में परिवादी की ओर से दिनांक 28.08.2025 को प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की गई व जांच साक्ष्य में परिवादी राजूराम तथा गवाहान रामनिवास व कालूराम के बयान लेखबद्ध करवाए गए।

दौराने बहस वकील परिवादी ने बहस प्रसंज्ञान सुनाते हुए प्रोटेस्ट पीटिशन के कथनों को दोहराते हुए तर्क दिया कि परिवादी व उसके गवाहों ने अपनी जांच साक्ष्य से अंतिम प्रतिवेदन को आधारहीन होना साबित किया है। अनुसंधान अधिकारी ने आरोपीगण के साथ मिलकर झूठा नतीजा पेश किया है। जांच साक्ष्य में परिवादी व उसके गवाहों ने उपरोक्त कथनों की पूर्ण रूप से ताईद की है। अतः ऐसी स्थिति में पत्रावली में मौजूद

साक्ष्य के आधार पर मुलजिमान के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 143, 452, 323, 379, 427 भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिए जाने का निवेदन किया।

सुना गया एवं उक्त तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। तफ्तीश के दौरान नक्शा हालात मौका बनाया गया है, परंतु सामान बाहर फेंकने के कोई आलामात नहीं पाए गए हैं। प्रकरण में तोड़–फोड़ से संबंधित फोटोग्राफ्स भी परिवादी की ओर से पेश नहीं किए गए हैं। यह निर्विवाद है कि पक्षकारों के बीच में विवादित दुकान के किराये को लेक विवाद मौजूद है। प्रकरण में पक्षकारों के बीच में सिविल वाद भी विचाराधीन है। परिवादी के शरीर पर भी किसी प्रकार की कोई चोट मौजूद नहीं है। उपरोक्त परिस्थितियों का समग्र रूपे से अवलोकन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि सिविल कार्यवाही में दबाव बनाने के लिए हस्तगत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। ऐसी स्थिति में मुलजिमान के विरूद्ध प्रसंज्ञान लेने के कोई सुदृढ़ आधार मौजूद नहीं होने से अंतिम प्रतिवेदन स्वीकार किया जाता है।

केस डायरी संबंधित थाना को बाद रसीद लौटायी जावें। प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।